डिक्री

यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

०न० – 64/2025

नवान : –

1. कृष्ण कुमार पुत्र बलुराम विश्नोई जाति विश्नोई निवासी चक 9 बीएचडी तहसील भादरा।

:—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील ादी श्री मुंशीराम गोस्वामी व प्रतिवादी श्री राज पैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने ार वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 9 बीएचडी के मु0 न0 10 के किला न0 20/2 व 21/2 में दर्ज 0.051–0.051हे0 गै0 मु0 रास्ता दर्ज भूमि को निरस्त/कलमजन किया जाकर वादी कृष्णकुमार के नाम खातेदारी दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/6/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.06 16:39:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 64/2025

अनवान : –

1. कृष्ण कुमार पुत्र बलुराम बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी चक 9 बीएचडी तहसील भादरा।

:—वादी

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम
उपस्थिति :— श्री मुंशीराम गोस्वामी वादी
श्री राज पैरोकार प्रतिवादी

निर्णय दिनांक: 10/6/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 9 बी0एच0डी0 के खाता सं0 22/22 के मु0 न0 10 के किला न0 8/1, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2 मु0 न0 24 के किला न0 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, मु0 न0 25 के किला न0 1/1, 1/2, कुल रकबा 1.5310है0 जिसमें से नहरी 1.0010है0, गै0 मु0 आवासीय 0.2500है0, गै0 मु0 रास्ता 0.255है0, गै0 मु0 खाला 0.025है0 कृषि भूमि प्रार्थी कृष्ण कुमार के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी की खातेदारी में से मु0 न0 10 के किला न0 20/2 की 0.051है0 व किला न0 21/2 की 0.051है0 गै0 मु0 रास्ता दर्ज है। उक्त किलेजात में से कभी कोई आवागमन नही रहा है तथा ना ही उक्त रास्ता कभी अस्तित्व में रहा है। वादी की खातेदारी के अलावा किला न0 10/2 व 11/2 में भी उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। किला न0 10/1 व 10/2 तथा किला न0 11/1 व 11/2 में दर्ज सम्पूर्ण भूमि आबादी में काम में आ रही है तथा किला न0 10/2 व 11/2 की भूमि जो रिकार्ड में रास्ता दर्ज है, उसमें भी आवादी हो चुकी है। इस प्रकार उक्त भूमि जो किला न0 10/2, 11/2, 20/2, 21/2 की भूमि में कभी भी रास्ता नहीं चला है। महज रिकार्ड माल में ही दर्ज चला आ रहा है।

प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि को उपयोग उपभोग में ले रही है। प्रार्थी की रोही चक 9 बीएचडी के मु0 न0 10 के किला न0 20/2 व 21/2 में दर्ज 0.051—0.051है0 भूमि वादी की खातेदारी का ही सदामत से हिस्सा रहा है तथा उक्त किलेजात में रिकार्ड माल में गै0 मु0 रास्ता दर्ज होने से वादी की खातेदारी हकों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। ऐसी स्थिति में वादी न्यायालय से यह घोषणा करवाने की सम्पूर्ण आज्ञप्ति कि चक 9 बीएचडी के मु0 न0 10 के किला न0 20/2 की 0.051है0, किला न0 21/2 व 0.051है0 भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी 1 राज पैरोकार की ओर से जवाव पेश किया गया तथा रिपोर्ट प्राप्त की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.06 16:39:33 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया प्रार्थी की रोही मोजा चक 9 बी0एच0डी0 के खाता सं0 22/22 के मु0 न0 10 के किला न0 8/1, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2 मु0 न0 24 के किला न0 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, मु0 न0 25 के किला न0 1/1, 1/2, कुल रकबा 1.5310है0 जिसमें से नहरी 1.0010है0, गै0 मु0 आवासीय 0.2500है0, गै0 मु0 रास्ता 0.255है0, गै0 मु0 खाला 0.025है0 कृषि भूमि प्रार्थी कृष्ण कुमार के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी की खातेदारी में से मु0 न0 10 के किला न0 20/2 की 0.051है0 व किला न0 21/2 की 0.051है0 गै0 मु0 रास्ता दर्ज है। उक्त किलेजात में से कभी कोई आवागमन नही रहा है तथा ना ही उक्त रास्ता कभी अस्तित्व में रहा है। जिससे वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए मु0 न0 10 के किला न0 20/2 व 21/2 में दर्ज 0.051—0.051है0 भूमि वादी की खातेदारी का ही सदामत से हिस्सा रहा है तथा उक्त किलेजात में रिकार्ड माल में गै0 मु0 रास्ता दर्ज होने से वादी की खातेदारी हकों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। उक्त गै0 मु0 रास्ता की भूमि को अपने नाम से मुमकिन दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा नवीनतम जमाबंदी का अवलोकन किया गया वादी का कथन है कि वादभूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज है व मौका रिपोर्ट तहसीलदार आदि का अवलोकन किया गया। वादी का कथन है कि रोही मोजा चक 9 बी0एच0डी0 के खाता सं0 22/22 के मु0 न0 10 के किला न0 8/1, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2 मु0 न0 24 के किला न0 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, मु0 न0 25 के किला न0 1/1, 1/2, कुल रकबा 1.5310है0 जिसमें से नहरी 1.0010है0, गै0 मु0 आवासीय 0.2500है0, गै0 मु0 रास्ता 0.255है0, गै0 मु0 खाला 0.025है0 कृषि भूमि प्रार्थी कृष्ण कुमार के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी की खातेदारी में से मु0 न0 10 के किला न0 20/2 की 0.051है0 व किला न0 21/2 की 0.051है0 गै0 मु0 रास्ता दर्ज है। उक्त किलेजात में से कभी कोई आवागमन नही रहा है तथा ना ही उक्त रास्ता कभी अस्तित्व में रहा है। जिससे वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए मु0 न0 10 के किला न0 20/2 व 21/2 में दर्ज 0.051—0.051है0 गै0 मु0 रास्ता की भूमि को मुमकिन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा तसीलदार राजस्व भादरा की मौका रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में मु0 न0 10 के किला न0 20/2 व 21/2 में दर्ज 0.051—0.051है0 गै0 मु0 रास्ता दर्ज है लेकिन उक्त रकबे पर कोई रास्ता चालू नहीं है व अन्य काश्तकारों की जोत तक पहुंच के लिए एक अन्य रास्ता मु0 न0 10 के दक्षिण स्थित, मु0 न0 24 के किला न0 4/2 में 0.051है0 गै0 मु0 रास्ता व किला न0 5/2 में 0.051है0 गै0 मु0 रास्ता व मु0 न0 25 के किला न0 1/2 में 0.051है0 गै0 मु0 रास्ता पाशा में गुजरता है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड चक 9 बीएचडी के मु0 न0 10 के किला न0 20/2 व 21/2 में दर्ज 0.051—0.051है0 गै0 मु0 रास्ता दर्ज है। तथा तहसीलदार राजस्व भादरा की रिपोर्ट अनुसार उक्त किलों पर कोई रास्ता चालू नहीं है। इसलिए वादी की भूमि में से गै0 मु0 रास्ता के लिए कम की गई भूमि को पुनः वादी अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। तहसीलदार भादरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के मुताबिक उक्त किलों में वर्तमान में कोई रास्ता चालू नहीं है उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी साक्ष्य सबूतों, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार राजस्व भादरा की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.06 16:39:33 IST
Reason: SelfAttested

अतः तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मोजा चक 9 बीएचडी के मु0 न0 10 के किला न0 20/2 व 21/2 में दर्ज 0.051–0.051है0 गै0 मु0 रास्ता दर्ज भूमि को निरस्त/कलमजन किया जाकर वादी कृष्णकुमार के नाम खातेदारी दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। पर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/6/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.06 16:39:33 IST
Reason: SelfAttested